श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
A Central University established by an Act of Parliament
(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

क्रमांक:एफ़(111)//ला.बा.शा.रा.सं.वि./सा.प्रा./2020-21/ 554

दिनांक:23.11.2020

कार्यालय आदेश

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 18.11.2020 के पत्र संख्या H.11011/02/2016-CDN (Pt) के अनुपालन में दिनांक 26.11.2020 को विश्वविद्यालय परिसर में संविधान दिवस-2020 का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रुपरेखा एवं विवरण निम्नलिखित है :-

क्रमांक	दिनांक एवं समय	कार्यक्रम	स्थान
01	26/11/2020 प्रात:11:00 बजें	शिक्षण और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना।	संबंधित अनुभागों/ विभागों में
02	26/11/2020 (अपराह्न 12:00 बजें)	प्रो. रचना वर्मा मोहन का आभासीय व्याख्यान (Virtual Lecture) **विषय: "संवैधानिक मूल्य और भारत के संविधान के मूल सिद्धांत"**	वाचस्पति सभागार

कोविड -19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और भीड़ के जमावड़े से बचने के लिए सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है क़ी वे अपने सम्बंधित अनुभागों / विभागों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ें।

सभी विभागाध्यक्षों / अनुभागीय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे संबंधित कार्यक्रम के चित्रों व वीडियो रिकॉर्डिंग को श्री मनीष लोहनी, सहायक (सामान्य प्रशासन) के व्हाट्सएप नंबर (9899141096) पर भेजें ताकि संबंधित चित्रों व वीडियो रिकॉर्डिंग को समयानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु मंत्रालय को प्रेषित की जा सके।

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

जे.पी.सिंह 23/11/2020

(जे. पी . सिंह)
सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. समस्त अध्यापकगण एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारीगण।
2. श्री बनवारी लाल वर्मा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वह दिनांक 26.11.2020 को फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी आदि की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें एवं उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर, समस्त अध्यापकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित करें।
3. माननीय कुलपति/ कुलसचिव के निजी सचिव
4. समस्त सूचना पट्ट पर सूचनार्थ लगाएं।
5. संबंधित पत्रावली
6. कार्यालय आदेश पंजिका

जे.पी.सिंह 23/11/2020

(जे. पी . सिंह)
सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

WE DO HEREBY GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

भारत का संविधान

उद्देशिका।

हम, भारत के लोग, भारत को एक [सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

हम दृढ़संकल्प होकर इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं।